



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail: [cex15rti-ker@gov.in](mailto:cex15rti-ker@gov.in)

Phone: 0484-2390404

F No. GEXCOM/RTI/MISC/279/2023-ADT

तारीख /Date: as e-signed

**यापार सचना/TRADE NOTICE NO: 05/2025**

**SUB: Right to Information Act, 2005-Appointment of First Appellate Authority at Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.**

**विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005-केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चिआयुक्तालय में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति - के संबंध में।**

Trade, Industry and General Public are hereby informed that, Dr A. Venkadesh Babu, Joint Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate has been designated as First Appellate Authority (RTI) of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate for the purpose of receiving appeals for disclosure of information/documents under Right to Information Act, 2005 having jurisdiction as shown at Annexure-II of Trade Notice No.02/2017-Central Excise and 03/2017-Central Tax both dated 21.06.2017. The details are as follows.

व्यापार, उद्योग एवं आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि डॉ ए. वेंकदेश बाबू, संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना/दस्तावेजों के प्रकटीकरण हेतु अपील प्राप्त करने हेतु केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) नियुक्त किया गया है। उनका क्षेत्राधिकार व्यापार सूचना संख्या 02/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 03/2017-केंद्रीय कर, दोनों दिनांक 21.06.2017 के अनुलग्नक-II में दर्शाया गया है। विवरण इस प्रकार है।

Sl No	Name and Designation	Jurisdiction		Address of the CPIO
		Office	Area	
1	<p><b>Dr. A. Venkadesh Babu</b> <b>Joint Commissioner</b></p> <p>डॉ ए वेंकदेश बाबू संयुक्त आयुक्त</p>	<p>Central Tax and Central Excise Kochi Commission erate</p> <p>केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय</p>	<p>As mentioned in Annexure II of Trade Notice Nos.02/2017-Central Excise &amp; 03/2017-Central Tax both dated 21/06/2017</p> <p>जैसा कि व्यापार सूचना संख्या 02/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 03/2017-केन्द्रीय कर, दोनों दिनांक 21/06/2017 के अनुलग्नक II में उल्लिखित है</p>	<p>Office of the Commissioner of Central Tax &amp; Central Excise, Central Revenue Building, I.S.Press Road, Kochi - 682018.</p> <p>केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि - 682018</p> <p>Email: cex15rti-ker@nic.in</p>

2. This Public notice is issued, for the purpose of notifying the appointment to the public.

यह सार्वजनिक सूचना नियुक्ति की सूचना जनता को देने के उद्देश्य से जारी की गई है।

[K KALIMUTHU/ के

कालीमुथु]

Commissioner/ आयुक्त

**Copy to**

The Officers  
concerned/  
संबंधित अधिकारी

**Copy for information to**

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone  
केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. The Commissioner, Central Tax & Central Excise, Calicut & Trivandrum with a request that they may give wide publicity to this trade notice and may be sent to various Trade Associations & members of RAC etc. also  
आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कालीकट एवं त्रिवेन्द्रम से अनुरोध है कि वे इस व्यापार सूचना का व्यापक प्रचार करें तथा इसे विभिन्न व्यापार संघों एवं आरएसी के सदस्यों आदि को भी भेजें।
3. The Commissioner of Customs, Customs Preventive Commissionerate, Cochin.  
सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचीन
4. The Commissioner (Appeals), Cochin.  
आयुक्त (अपील), कोचीन।
5. Commissioner(Audit), Cochin  
आयुक्त (लेखा परीक्षा), कोचीन
6. The Joint Commissioner and First Appellate Authority(RTI), Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.  
संयुक्त आयुक्त एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय।
7. All Central Public Information Officer (CPIO) of Central Tax & Central Excise offices in Kochi Commissionerate  
कोच्चि आयुक्तालय में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों के सभी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)
8. The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise Hqrs., Kochi – for uploading this trade notice on the department website.  
अधीक्षक (प्रणाली), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि - इस व्यापार सूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. Notice Board./नोटिस बोर्ड.